कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांकः– 2156 /11–सी–FP/UP/Others/18967/2016, लखनऊः दिनांकः अप्रैल 20 ,2017

सेवा में,

प्रभागीय निदेशक,
सा0वा0 वन प्रभाग,
सुलतानपुर।

विषयः– जनपद–सुलतानपुर में इण्डियन ऑयल कार्पो0 लि0 द्वारा सुलतानपुर–बलिया मार्ग (एस0एच0–34) के किमी0 स्टोन संख्या–157, ग्राम–अयूबपुर, परगना–बरौंसा, तहसील–जयसिंहपुर, जिला–सुलतानपुर के खसरा संख्या–278 एवं 280 में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075028 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 11 वृक्षों की पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सरयू वृत्त, फैजाबाद का पत्रांक–3300/14–10, दिनांक–13.04.2017

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त विषयगत प्रस्ताव का परीक्षण किया गया। जिसमें परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव के आनलाईन एवं हार्डकॉपी में निम्नलिखित कमियॉं/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

1– याचक विभाग तथा सम्बन्धित प्रभागीय निदेशक का संयुक्त निरीक्षण प्रमाण–पत्र संलग्न है किन्तु उस पर क्षेत्रफल त्रुटिपूर्ण अंकित है।

2– वन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, भारत सरकार द्वारा लगाई गयी केवल 15 मानक शर्ते ही संलग्न है, जो अपूर्ण है। अतः 18 मानक शर्ते, जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न करें।

3– प्रस्तावित वनभूमि का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न है, किन्तु के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 संलग्न नहीं है।

4– प्रभावित संरक्षित वनभूमि के बदले दुगने अवनत वनभूमि पर अनुरक्षण सहित 100 वृक्षों का वृक्षारोपण तथा प्रभावित वृक्षों के 10 गुने वृक्षों का राजमार्ग के किनारे अनुरक्षण सहित वृक्षारोपण का प्राक्कलन संलग्न किया गया है, जो भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं है। अतः भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप केवल प्रभावित वृक्षों के 10 गुने वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण व Cost Esclation सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर, आनलाईन अपलोड करें।

5– क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रमाण पत्र/वचनबद्वता संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

6– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल वन ब्लाक सुरौली तथा एस0एच0–34 मार्ग के किनारे पटरी पर प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Geo Refferenced Digital Map संलग्न किया गया है। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार भविष्य में मार्ग चौड़ीकरण होने के कारण रोड साइड वृक्षारोपण स्वीकार्य नहीं है। अतः केवल वन ब्लाक सुरौली चयनित स्थल का सत्यापित Geo Refferenced Digital Map के0एम0एल0 फाइल शेप की सी0डी0 सहित संलग्न कर, आनलाईन अपलोड करें।

7– क्षतिपूरक वनीकरण हेतु मार्ग के किनारे चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न है, जो स्वीकार्य नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित बिन्दु संख्या–6 के अनुसार प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित व चिन्हित 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न कर, आनलाईन अपलोड करें।

8— प्रस्तावित वनभूमि के एन0पी0वी0 में संशोधन के उपरांत बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि के भुगतान की वचनबद्वता, जो प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं है।

9— वन अधिकार अधिनियम—2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है, जिस पर पत्रांक व जिलाधिकारी की मोहर अंकित नहीं है। अतः पत्रांक व जिलाधिकारी की मोहर सहित जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर, आनलाईन अपलोड करें।

10— मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan संलग्न है किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।

11— आनलाइन पार्ट—2, कमांक—5, 6 व 7 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः उचित डाटा फीड करें।

12— आनलाईन भाग—2, Additional information details में कोई प्रमाण पत्र अपलोड नहीं है। अतः आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें।

13— आनलाइन पार्ट—1, कमांक—(vi) में Linear फीड है, जो त्रुटिपूर्ण है, अतः Non-Linear फीड करें।

14— आनलाईन भाग—1 व हार्डकापी के भाग—1 एवं पृष्ठ संख्या—62 पर संलग्न प्रमाण में परियोजना की लागत भिन्न—भिन्न अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः आनलाईन के अनुसार एक समान उचित परियोजना की लागत अंकित करें।

15— आनलाईन भाग—1 व हार्डकापी के भाग—1 एवं पृष्ठ संख्या—85 पर संलग्न प्रमाण पत्र में रोजगार का विवरण भिन्न—भिन्न अंकित है, जो त्रुटिपूर्ण है। अतः आनलाईन के अनुसार एक समान उचित रोजगार का विवरण अंकित करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् पूर्ण प्रस्ताव इस कार्यालय को 03 प्रतियों में उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः— 2146/11—सी— FP/UP/Others/18967/2016, दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0 सरयू वृत्त, फैजाबाद।
2. सहायक प्रबन्धक, रिटेल सेल्स, सुलतानपुर सेल्स एरिया, आई0ओ0सी0एल0, इन्दिरा भवन, सिविल लाइन, इलाहाबाद।

(वाई0एस0के0 शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।